

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ4(3)(1)न.पा./रा.नि.आ./09/4038

दिनांक:- 09/10/2025

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान।

विषय :-नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 में निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अंकित हैं। इन प्रावधानों के अनुसार किसी नगरपालिका के निर्वाचन के संचालन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त नियम-9 में अंकित प्रावधानों के अधीन, निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

इसी क्रम में नियम 28(1) के अनुसार निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी की सहायतार्थ एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने में सक्षम हैं। नियम 28(1) के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

"28. Presiding Officers and Polling Officers.- (1) The returning officer shall, appoint a presiding officer for each polling station and one or more polling officers to assist the presiding officer."

उक्त नियम-28(1) के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी की सहायतार्थ एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, किन्तु कोई अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243य के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं, अतः संविधान के अनुच्छेद 243य में प्रदत्त शक्तियां एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका निर्वाचनों हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 1647 दिनांक 17.05.2019 एवं पत्रांक 4182 दिनांक 21.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए इस संबंध में यह निर्देश जारी करता है कि :-

1. नगरपालिका सदस्य पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराया जाना है। अतः मतदान दलों के गठन के संबंध में ऐसे मतदान केन्द्र जिनमें मतदाताओं की संख्या 1400 तक हैं, वहां एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी होंगे किन्तु ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हैं, वहां एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी लगाया जा सकता है।
2. पीठासीन अधिकारी सामान्यतः राजपत्रित अधिकारी या उसके समकक्ष होंगे। राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28(3) के अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा बीमारी या अन्य किन्हीं कारणों से जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हों, स्वयं को मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रखता है तो उसके कर्तव्य का निर्वहन उस मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस हेतु नियुक्त किया गया हो।

3. मतदान दल में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद/वेतनमान/स्तर के अनुरूप ही की जाए। चुनाव ड्यूटी लगाते समय कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी कनिष्ठ कार्मिक के अधीनस्थ किसी वरिष्ठ कार्मिक को नहीं लगाया जाए। उदाहरणार्थ निम्न वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें उच्च कैडर के कार्मिक को उच्चतर वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहें निम्न कैडर के कार्मिक के अधीन नहीं लगाया जाना चाहिए अर्थात् पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी से उच्चतम पद/स्तर का होना चाहिए। इसी तरह मतदान अधिकारियों के नियुक्ति में भी पद/स्तर का ध्यान रखा जाए।
4. मतदान दलों के गठन से पूर्व सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों/कार्यालयों/ संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन सूचियाँ तैयार की जाए। किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दलों से मिलीभगत या उनके पक्ष में होने के आरोप से बचने एवं उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों तथा जनता के मन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक हैं कि विभिन्न शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को एक मतदान दल में जहां तक संभव हो, समुचित रूप से मिलाया (Mix-up) जाए।
5. नगरपालिका मंडल/नगरपरिषद क्षेत्र के चुनाव के लिए मतदान कार्मिक संबंधित नगरपालिका मंडल/नगरपरिषद क्षेत्र का निवासी नहीं होने चाहिए तथा ना हो वह उस नगरपालिका मंडल/नगरपरिषद क्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित होना चाहिए अर्थात् मतदान कार्मिक आवश्यक रूप से नगरपालिका मंडल/नगरपरिषद क्षेत्र से बाहर का निवासी तथा कार्मिक होना चाहिए।
6. नगरनिगम के चुनाव के लिए मतदान कार्मिक संबंधित वार्ड का निवासी तथा उस वार्ड में कार्यरत/पदस्थापित नहीं होना चाहिए। इस अतिबंध के साथ मतदान दल के आधे कार्मिक नगरनिगम क्षेत्र के बाहर के भी होने चाहिए। अर्थात् मतदान दल में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों तथा संबंधित वार्ड से बाहर के कार्मिकों का अनुपात बराबर होना चाहिए। सभी मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों के गठन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी आयोग को भिजवाया जाएगा।
7. किसी भी मतदान केन्द्र पर अपातकाल से निपटने एवं पुनर्मतदान हेतु पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं ऐसे सभी अधिकारियों जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दिवस के लिए चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया हो, के लिए आरक्षित कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए। ऐसे आरक्षित दलों की संख्या 10% रखी जाए।
8. मतदान दलों के प्रशिक्षण का आयोजन यथासंभव संबंधित नगरपालिका मुख्यालय पर किया जाए। मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम प्रशिक्षण केवल पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी को दिया जाएगा। द्वितीय प्रशिक्षण मतदान दलों के सभी सदस्यों को मतदान केन्द्र हेतु रवानगी के दिन दिया जाएगा। मतदान दलों को प्रशिक्षण यथासंभव अवकाश के दिन या अध्यापन समय से भिन्न समय (Non Teaching Hours) में दिया जाए ताकि शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण में भाग लेने पर शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
9. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार दिन-प्रतिदिन विभिन्न निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अतः ऐसा संभव है कि मतदान दलों का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए जाए, जिनसे मतदान दलों को भिन्न कराना आवश्यक हो। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को चाहिए कि वे उन निर्देशों को एक सूचना पत्रक पर तैयार कर EVM एवं अन्य चुनाव सामग्री के वितरण के समय प्रत्येक मतदान दल को उपलब्ध कराएं।

10. मतदान दलों को उनके गन्तव्य मतदान केन्द्रों की जानकारी मतदान दिवस से तीन दिन से पूर्व नहीं दी जाए।
11. मतदान दलों में आवश्यकतानुसार महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन ऐसे मतदान दल की ड्यूटी कठिन/दुर्गम स्थानों पर स्थित मतदान केन्द्रों पर नहीं लगाई जाए।
12. निम्नलिखित की ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाए:-
 1. केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक।
 2. संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक।
 3. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक।
 4. ऐसे कार्मिक जो किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार से संबद्ध हों।
 5. दिव्यांग कार्मिकों को यथा संभव मतदान दल में नियुक्त नहीं किया जाए।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवकीया,



(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ4(3)(1)न.पा./रा.नि.आ./09/4039-43

दिनांक : 09/10/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. गार्ड फाईल।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव